न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/01/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/8

अपीलार्थी
श्री इन्दरसिंह मलिक पुत्र स्व. श्री मुंशीराम,
नि. ए–72, मसूदपुर, वसन्तकुंज, नई दिल्ली–110070

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 04.01.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17.01.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 24.09.2021 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निर्वाचन क्षेत्र सं. 59–तिजारा, नगर परिषद भिवाडी, वार्ड सं. 60 में दर्ज विविध 06 व्यक्तियों के वोटर कार्ड की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र, राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, राज. को, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर को, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) तिजारा को एवं **अन्ततः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी** को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया है।
5. वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 15.12.2021 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांकः 22.12.2021 के अनुसरण में इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. जिनिअ/लोसूअ/2022/01 दिनांकः 13.01.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया गया। जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के माध्यम से अवगत कराया गया कि नगर परिषद, भिवाडी के आम चुनाव, 2019 में निर्वाचक नामावली संबंधी कार्य/ईआरओ का कार्यभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी (इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण) द्वारा संपादित किये जाने के कारण अपीलार्थी का मूल आवेदन उन्हें अन्तरित किया गया है।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत **प्रथम अपीलीय कार्यालय यह कार्यालय नहीं है।**
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि लोकहित में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 24.09.2021 एवं प्रथम अपील दिनांकः 15.12.2021 में वांछित बिन्दुवार सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी को भी प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 17.01.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर